

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प. 22(1)न्याय/22 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक

**::आज्ञा::**

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों के पदोन्नति उपरान्त स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	रमजान अली संयुक्त विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
2.	अनिल गुप्ता	संयुक्त विधि परामर्शी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर श्री जैन के स्थानान्तरण होने से रिक्त हुए पद पर
3.	पवन कुमार तंवर संयुक्त विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
4.	विजय कुमार जैन संयुक्त विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
5.	विरेन्द्र सिंह यादव उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी निदेशक विधि, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	संयुक्त विधि परामर्शी राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
6.	रमेश कुमार मालपानी उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
7.	मोहन लाल गुप्ता उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी गृह (ग्रुप-10/ अभियोजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी गृह (ग्रुप-10/ अभियोजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
8.	रमेश कुमार लखोटिया	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय नागौर	संयुक्त विधि परामर्शी मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
9.	ओमप्रकाश शर्मा उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
10.	शैलेश कुमार उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी वाणिज्य कर विभाग, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी वाणिज्य कर विभाग, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
11.	हेमराज	उप विधि परामर्शी आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी लोकायुक्त शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
12.	चन्द्रशेखर शर्मा उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	पदोन्नति पर यथावत

13.	कपिल महर्षि	उप विधि परामर्शी कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
14.	संजय माथुर उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
15.	चन्द्र शेखर गौड़	उप विधि परामर्शी निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
16.	योगेन्द्र कुमार दाधीच उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी नगर निगम, कोटा दक्षिण, कोटा	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
17.	महेश कुमार नारनोलिया सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	पदोन्नति पर यथावत
18.	ताराचंद खेतावत	सहायक विधि परामर्शी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय ब्यावर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
19.	वैशाली पाठक सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
20.	ओम प्रकाश सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय जालौर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय जालौर	पदोन्नति पर यथावत
21.	रामेश्वर लखावत	सहायक विधि परामर्शी राजस्व मण्डल अजमेर	उप विधि परामर्शी निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2022 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT  
RAMAN <ankitraman.a@gmail.com>  
Digitally Signed by ANKIT  
RAMAN  
Designation: Joint Secretary  
Date :10-06-2025 05:30:34